



जिज्ञा शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | WEST CHAMPARAN
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

पत्रांक- SSA/RTE/834

दिनांक- 27/04/22

आपका / व्यवस्थापक / प्रबंधक
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0
शिक्षा केंद्र, 2 कामधुमिरी रोड 0

विषय - बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के उपबन्धों बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधायकों के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूचीकृति का प्रमाण पत्र ।

माताएं,

आपके जाते हुए यह दिनांक 20-08-2021 और उसके क्रम में अपने किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक अपने विद्यालय ST XAVIER'S HIGHER SECONDARY SCHOOL, K.H CAMPUS, BETTIAH, 845438, कक्षा 1 से 8 तक संभालने हेतु तीन वर्षों 20-08-2021 से 20-8-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रसूचीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रसूचीकृति निम्न बच्चों के अनुपातन के अधीन होगी।

1. प्रसूचीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 5 तक की बच्चों के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुसूचक-1) तथा बिहार राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा विधायकों 2011 (अनुसूचक-2) का अनुपातन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुक्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संभालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपातन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका 3 में उद्धृत बच्चों के नामों में विद्यालय को बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का केपिटेशन फीस नहीं प्रेषित किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके महा-विद्यालय या अतिरिक्त का सप्लियिंग टैक्स नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विशिष्टता अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, धर्म स्थान आदि कारणों का इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे।

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से विस्थापित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का वारंटिक टैक्स नहीं दिया जाएगा तथा मासिक रूप से प्रतर्हित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के अलावा में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का विशेष अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेगा।
- (viii) शिक्षक विनोदी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वास्तुशिल्प एवं वास्तुधर्म का अनुपालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अलावा में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण विद्यमान।

(i) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 579.053

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 579.053

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- Play Ground, Canteen, Garden, Science Lab, Computer Lab, Library, Lift, Fire Extinguisher, Cycle Shed, Digital Classes, Wi-Fi, Language Lab, Sick Room, Auditorium, Ramp

(iv) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या :- 55

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-पंढार कक्षा :- 3

(vi) जातक तथा वर्तिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys -> 76 , Girls 41

(vii) पोषक की सुविधा :- 39

(viii) मध्याह्न भोजन के लिये स्मॉई घर :- 0

(ix) साधनसिद्धि पूर्ववत् :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री खेल-कूद उपकरण/उत्सव उपकरण :- Traditional-Board, Smart-Board, Computer, Chalk, Duster , Games Equipment SLNO DESCRIPTION QUANTITY 1. HEIGHT MEASURING STAND 1 PC 2. HIGH JUMP STAND 1 SET 3. HUDDLE 3 PCS 4. FIELD MARKER (CONE) 50 PCS 5. JAVELIN 1 PC 6. MEASURING TAPE 2 PCS 7. STOPWATCH 1 8. RING 2 PCS , (Y . 999 , NewsPaper MagoZim-> 28)

11. कोई भी अपरवीकृत वर्गीकृत विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के साथ से संबंधित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1986 (1986 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी यंत्रिक दृष्ट के माध्यम से 13 संबंधित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संबंधित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेशन एवं उसका प्रशासनिक कार्य चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित विधियों के अंतर्गत में उपयुक्त लेखा विवरणों तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आर्वाइव प्रनवीकृति कोड संख्या [20310282021820092731, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पताचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाय ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के अंतर्गत प्रनवीकृति की शर्तों के तहत रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुवेदनों का अनुयायन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय ।

19. अनुसूचक (a) के रूप में संलग्न अन्य शर्तें


विद्यालय

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, WEST CHAMPARAN
सह-सचिव प्रनवीकृति समिति
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार